(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : 25/2020 प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक Smt सरस्वती शर्मा V/s आकाश्या (बिल्डर) CGRERA-P- Exem.PRO-2019-00683

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
07/07/21	प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया। आवेदक द्वारा श्री समीर शर्मा अधिवक्ता। अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.05.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 12,43,372/- (बारह लाख तिरालीस हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नोटिस तामिली पश्चात् अनावेदक अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते रहे हैं किन्तु दिनांक 05.06.2021 से अनावेदक अनुपस्थित हैं और उन्होंने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान भी नहीं किया हैं। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा– 40(1) छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017 के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः 12,43,372/- (बारह लाख तिरालीस हजार तीन सौ बहत्तर मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदया को प्रेषित की जावे। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। न्याय (निर्णायक) अधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	